सेवा में,

पंजीकृत

मा० मुख्यमन्त्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन,
लोक भवन, 6, कालिदास मार्ग,
लखनऊ (उ०प्र०), (पिनकोड–226001)।

विषयः– **पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के निदेशक (वित्त), श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर द्वारा अपने अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने सम्मानित पद का दुरूपयोग करते हुऐ प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक का मानसिक उत्पीड़न, शोषण करने एवं लगातार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकियाँ दिलवाये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सादर संज्ञानित कराना है कि प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक की कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ की कार्यावधि (दिनांक 11.07.2024 से 21.06.2025 तक) के दौरान पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के निदेशक (वित्त), श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर द्वारा घनिष्ठता के प्रभाव में कुछ किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों (यथा मै० खुशबू ट्रैवल्स इत्यादि) को निविदाओं में अनुचित लाभ पहुँचाने की मंशा एवं अपने अन्य अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने सम्मानित पद का दुरूपयोग करते हुऐ दिनांक 02.04.2025 को प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मनगढ़ंत एवं निराधार आरोप लगाते हुऐ उन पर अनावश्क दबाब बनाकर अभद्र व्यवहार किया गया एवं उनके व्यक्तिगत जीवन पर अमर्यादित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुऐ ब्लैकमेल एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया साथ ही उनका विभागीय भविष्य समाप्त करने की धमकी भी दी गयी, जिसके सन्दर्भ में प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग द्वारा मौखिक रूप से एवं अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2025 **(संलग्नक–1/कुल पृष्ठ–01)** के माध्यम से अपने तत्काल अधिकारी श्री यदुनाथ यथार्थ, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ को उक्त घटना के विषय में विस्तारपूर्वक संज्ञानित कराया गया।

प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग द्वारा उक्त घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03.04.2025 को प्रस्तुत किये गये सन्दर्भित प्रार्थना पत्र संलग्नक–1 के सापेक्ष प्रार्थिनी के पति के तत्काल अधिकारी श्री यदुनाथ यथार्थ, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ को दिनांक 03.04.2025 **(संलग्नक–2/कुल पृष्ठ–06)** को सन्दर्भित प्रकरण पर अपनी विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी।

सादर अवगत कराना है कि उक्त घटनाक्रम के कारण प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग को अत्यधिक तनाव की स्थिति में व्यथित देखकर न्याय की प्रत्याशा में प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 **(संलग्नक–3/कुल पृष्ठ–02)** के माध्यम से श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त) द्वारा किये गये उपरोक्त वर्णित घृणित कृत्य की शिकायत प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ से की गयी, जिसकी प्रति दिनांक 07.04.2025 **(संलग्नक–4/कुल पृष्ठ–04)** को मा० नगर विकास एवं ऊर्जा मन्त्री, श्री ए०के०शर्मा जी द्वारा संचालित तेज पोर्टल पर भी अपलोड करते हुऐ प्रार्थिनी द्वारा न्याय हेतु आवेदन किया गया, जिसकी पंजीकरण संख्या UTT/PG/ENE/04/25/00058351 है। मा० नगर विकास एवं ऊर्जा मन्त्री, श्री ए०के०शर्मा जी द्वारा संचालित तेज पोर्टल पर प्रार्थिनी के उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांक 15.04.2025 **(संलग्नक–5/कुल पृष्ठ–03)** को मा० अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को अग्रसारित की गयी।

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थिनी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रेषित करने के उपरान्त प्रार्थिनी के पति को घर से कार्यालय आते–जाते समय एवं प्रार्थिनी को घरेलू कार्य हेतु घर से बाहर आते–जाते समय अक्सर विभिन्न अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर प्रार्थिनी द्वारा पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025, संलग्नक–3 को वापिस लिये जाने हेतु निरन्तर अनावश्यक दबाब बनाया जा रहा है एवं शिकायत वापिस न लिये जाने की स्थिति में प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति को जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रहीं हैं, जिसके विषय में प्रार्थिनी द्वारा पूर्व में भी अपने पति श्री सिद्धार्थ गर्ग के तत्काल अधिकारी श्री यदुनाथ यथार्थ, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय,

मेरठ को अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2025 **(संलग्नक–6/कुल पृष्ठ–01)** के माध्यम से प्रार्थिनी के पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025, संलग्नक–3 के सापेक्ष न्यायोचित कार्यवाही के क्रम में प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के शारीरिक/मानसिक सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरठ को अवगत कराने हेतु आवश्यक संज्ञान लेने हेतु अनुरोध किया गया था।

महोदय अत्यन्त विडम्बना का विषय है कि श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के उच्च पद के प्रभाव के कारण प्रार्थिनी के उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025, संलग्नक–3 को किसी भी तरह से श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त) की स्वेच्छानुसार निस्तारित/लम्बित कराने के उद्देश्य से अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत प्रकोष्ठ), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ द्वारा दिनांक 29.05.2025 **(संलग्नक–7/कुल पृष्ठ–02)** को उक्त शिकायती प्रकरण पर निस्तारण आख्या प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग के तत्काल अधिकारी, मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ से ही माँगी गयी, जोकि पूर्णतः औचित्यहीन है, क्यूंकि प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग के तत्काल अधिकारी, श्री यदुनाथ यथार्थ, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ द्वारा उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में पूर्व में ही दिनांक 03.04.2025, संलग्नक–2 के माध्यम से अपनी विस्तृत आख्या निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ को प्रेषित की जा चुकी थी। अतः अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत प्रकोष्ठ), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के सन्दर्भित पत्र दिनांक 29.05.2025, संलग्नक–7 के सापेक्ष प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग के तत्काल अधिकारी, श्री यदुनाथ यथार्थ, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.06.2025 **(संलग्नक–8/कुल पृष्ठ–01)** के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता (शिकायत प्रकोष्ठ), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ को प्रश्नगत शिकायती प्रकरण के हाईप्रोफाईल होने के दृष्टिगत इसकी जाँच मुख्यालय/कॉरपोरेशन स्तर से कराये जाने हेतु संज्ञानित कराया गया।

महोदय आपको इसी क्रम में सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि इसी दौरान श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ द्वारा अपने उच्च पद के प्रभाव से षडयन्त्र रचकर स्थानान्तरण नीति–2025 का फायदा उठाते हुऐ विगत कुछ माहों से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग को बदनाम करने के उद्देश्य से की जा रहीं उनकी फर्जी/निराधार शिकायतों को आधार बनवाकर प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग का दिनांक 18.06.2025 **(संलग्नक–09/कुल पृष्ठ–01)** को प्रशासनिक आधार पर कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय मेरठ से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०), बुलन्दशहर क्षेत्र, बुलन्दशहर हेतु स्थानान्तरण करवा दिया गया, जबकि विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की मंशा से की जाने वाली शिकायतों पर रोक लगाने हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ के पत्रांक संख्या 30–ज०श० एवं प्र०सु०–01/पाकालि/2020–14–ज०श०/98 (टी०सी०), दिनांक 09.01.2020 **(संलग्नक–10/कुल पृष्ठ–01)** के बिन्दु संख्या–1 में यह व्यवस्था की गयी है कि विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध विशिष्ट व्यक्तियों (मा० सांसद/विधायक इत्यादि) से प्राप्त शिकायती–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाये कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं एवं बिन्दु संख्या–2 में यह व्यवस्था की गयी है कि विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ–पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाये और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाये। निगम के उक्त पत्र दिनांक 09.01.2020, संलग्नक–10 का उल्लेख प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग के तत्काल अधिकारी, श्री यदुनाथ यथार्थ, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ द्वारा दिनांक 03.04.2025, संलग्नक–2 में निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ को प्रेषित अपनी विस्तृत आख्या में स्पष्ट रूप से किया गया था, परन्तु श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के उपरोक्तानुसार वर्णित षडयन्त्र के कारण श्री यदुनाथ यथार्थ, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 03.04.2025, संलग्नक–2 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित तर्कसंगत तथ्यों का किसी भी उच्च स्तर पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया।

महोदय विशेष रूप से सादर संज्ञानित कराना है कि श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ द्वारा वर्तमान में भी लगातार षडयन्त्र रचते हुऐ अपने सम्मानित पद का दुरूपयोग करते हुऐ प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार को प्रताड़ित करने की कुत्सित मंशा से शासन की स्थानान्तरण नीतियों की धज्जियाँ उड़वाते हुऐ कुटिलतापूर्वक बुलन्दशहर क्षेत्र, बुलन्दशहर के अन्य अधीनस्थ अधिकारियों से भी प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग का बार–बार स्थानान्तरण करवाकर उनके कार्य क्षेत्र/मुख्यालय में बार–बार परिवर्तन **(संलग्नक–11/कुल पृष्ठ–06)** करवाकर लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है एवं अज्ञात लोगों द्वारा प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति को जाने से मारने की लगातार धमकियाँ भी दिलवायी जा रहीं हैं। उपरोक्तानुसार वर्णित विभिन्न कारणों से लगातार मानसिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण मेरे पति श्री सिद्धार्थ गर्ग का मानसिक रोग चिकित्सक से उपचार **(संलग्नक–12/कुल पृष्ठ–02)** भी चल रहा है।

महोदय प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग द्वारा अपनी अब तक की सेवा अवधि में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में इंगित नियमों के अनुकूल विभाग द्वारा निर्गत समस्त कार्य आवंटन/स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया है एवं वर्तमान में भी श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ द्वारा लगातार उत्पन्न की जा रहीं विषम परिस्थितियों में भी लगातार मानसिक तनाव में रहते हुऐ भी कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड–सिकन्द्रबाद, जिला बुलन्दशहर में अपनी पूर्ण क्षमता/दक्षता के अनुरूप विभाग द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। अवगत कराना है कि प्रार्थिनी की सास जोकि काफी वृद्ध हैं एवं प्रार्थिनी के बच्चों की देखभाल करने वाले प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग के अतिरिक्त घर में अन्य और कोई भी नहीं है। उपरोक्त विभिन्न कारणों से हमें अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विशेष रूप से संज्ञानित कराना है कि प्रार्थिनी के संज्ञान में आया है कि श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ द्वारा अपने अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग के अन्य अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों विशेषकर महिला अधिकारियों का भी विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है। कुछ दुराचरण सम्बन्धी प्रकरणों में इनके विरूद्ध उच्च स्तरीय जाँचें भी चल रहीं हैं। यहाँ यह भी संज्ञानित कराना अति आवश्यक है कि श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ को पूर्व में भी प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 13.05.2014 के माध्यम से गम्भीर दुराचरण के आरोप में उपमहाप्रबन्धक (वित्त) के पद से सस्पेंड भी किया गया था। **(संलग्नक–13/कुल पृष्ठ–02)**

महोदय श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के उच्च पद के प्रभाव के कारण आज तक प्रार्थिनी द्वारा पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है, जिस कारणवश श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ द्वारा लगातार निरंकुश होकर प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग के साथ उपरोक्तानुसार वर्णित विभिन्न प्रकारों से लगातार षडयन्त्र रचते हुऐ मानसिक उत्पीड़न एवं शोषण कर अन्याय किया जा रहा है। महोदय आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के उपरोक्तानुसार वर्णित घृणित कृत्य से प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति की मानहानि एवं मानवाधिकारों का हनन होने के उपरान्त भी न्याय न मिल पाने के कारण प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के पति के मन में दिन में कई बार आत्महत्या जैसे निराशावादी विचारों का आवागमन होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि प्रार्थिनी के पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर न्यायोचित कार्यवाही के क्रम में प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के शारीरिक/मानसिक एवं मानवाधिकारों के सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक संज्ञान लेने की कृपा करें, साथ ही आपसे यह भी विनम्र अनुरोध है कि यदि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के चलते प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के साथ भविष्य में कोई भी जान की हानि सम्बन्धी अप्रिय घटना घटित होती है तो प्रार्थिनी के इस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्रत्येक कथन को श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के विरूद्ध प्रमाणिक कथन के रूप में स्वीकार किया जाये एवं प्रार्थिनी की तरफ से इस प्रार्थना पत्र को ही शपथ–पत्र के रूप में स्वीकार करते हुऐ श्री स्वतन्त्र कुमार तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराते हुऐ विधिवत कठोरतम कानूनी कार्यवाही करायी जाये।

महोदय आपके न्यायप्रिय शासन एवं जनता के प्रति आपकी संवेदनशीलता से प्रभावित होकर आपके कुशल एवं न्यायपूर्ण नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थिनी द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का उपरोक्तानुसार विस्तृत उल्लेख इस प्रार्थना पत्र में किया गया है। प्रार्थिनी को आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास भी है कि आप इस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्यों को प्राथमिकता पर संज्ञान में लेकर प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के शारीरिक/मानसिक एवं मानवाधिकारों के सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु यथोचित एवं न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करते हुऐ प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार को अनुग्रहीत करेंगे।

सादर धन्यवाद।

दिनांकः—10.10.2025।

प्रतिलिपिः—

1. श्री ए०के०शर्मा जी, मा० नगर विकास एवं ऊर्जा मन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन, 14, कालिदास मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०), (पिनकोड—226001) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ एवं दिनांक 07.04.2025 को आपके द्वारा संचालित तेज पोर्टल पर आवेदित **(पंजीकरण संख्या UTT/PG/ENE/04/25/00058351)** अपने पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 के अनुक्रम में पुनः न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।
2. मा० अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०), (पिनकोड—226001) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ एवं मा० नगर विकास एवं ऊर्जा मन्त्री, श्री ए०के०शर्मा जी द्वारा संचालित तेज पोर्टल पर प्रार्थिनी के पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 को पूर्व में दिनांक 15.04.2025 को तेज पोर्टल पर आपके कार्यालय को अग्रसारित किये गये पत्र के अनुक्रम में न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।
3. मा० आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल, जिला मेरठ (उ०प्र०), (पिनकोड—250003) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ एवं न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।
4. मा० जिलाधिकारी महोदय, जिला मेरठ (उ०प्र०), (पिनकोड—250003) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ एवं न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।
5. मा० प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ (उ०प्र०), (पिनकोड—250001) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ एवं अपने पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2025 के अनुक्रम में पुनः न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।
6. मा० वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरठ (उ०प्र०), (पिनकोड—250003) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के प्राणों के सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु एवं न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।
7. मा० अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, टी०सी०—34, वी०—1, इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०), (पिनकोड—226010) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के मानवाधिकारों के संरक्षणोपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु एवं न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।
8. मा० अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, मानव अधिकार भवन, टी०सी०—34, वी०—1, इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०), (पिनकोड—226010) को यह प्रार्थना पत्र स्वतः संज्ञानार्थ प्रार्थिनी के शारीरिक/मानसिक एवं मानवाधिकारों के सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु एवं न्याय की प्रत्याशा में प्रेषित।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार (कुल संलग्नक—13/कुल 32 पृष्ठ)।

प्रार्थिनी

Pooja Garg

(पूजा गर्ग)

पत्नी श्री सिद्धार्थ गर्ग (कार्यकारी सहायक)

निवासिनी—मकान नं०—144, ग्रीन हाईट्स कॉलौनी,

(ए०टू०जैड०), मोदीपुरम, मेरठ (उ०प्र०)

मो०नं०—9358050402

(1.1)

संलग्नक – 1

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (वि०),
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ क्षेत्र–द्वितीय,
विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

विषयः– दिनांक 02.04.2025 को निदेशक (वित्त), महोदय कार्यालय प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर अभद्र व्यवहार करने एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप स्वयं अवगत ही हैं कि दिनांक 02.04.2025 को आपके मौखिक रूप से एवं निदेशक (वित्त), महोदय, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ के कैम्प कार्यालय से सी०यू०जी० मोबाईल नं०–09193330055 से समय सांय 16:09 बजे प्रार्थी को निदेशक (वित्त), महोदय के कक्ष में तत्काल उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में प्रार्थी दिनांक 02.04.2025 को तत्काल (लगभग 16:15 बजे) निदेशक (वित्त) महोदय के कक्ष में उपस्थित हुआ जहाँ पर निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा अकारण प्रार्थी की कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रार्थी पर भृष्टाचार सम्बन्धी मनगढंत, मिथ्या एवं निराधार गम्भीर आरोप अभियोजित किये गये एवं भविष्य में प्रार्थी का विभागीय करियर समाप्त करने की चेतावनी एवं धमकी भी दी गयी साथ ही प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुऐ प्रार्थी के व्यक्तिगत जीवन पर भी कई बार अमर्यादित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी।

सादर संज्ञानित कराना है कि प्रार्थी द्वारा निरन्तर निगम कार्य हित में आवंटित कार्यों का ससमय गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किये जाने एवं कार्यालय अभिलेखों की गोपनीयता बनाये रखने के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा सौंपे गये दायित्वों एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में इंगित नियमों के अनुकूल ही कार्य किया जा रहा है। निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा प्रार्थी की सत्यनिष्ठा/प्रतिष्ठा पर इस प्रकार का प्रश्नचिन्ह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा अभियोजित मनगढंत, मिथ्या एवं निराधार आक्षेपों एवं अभद्र व्यवहार से प्रार्थी की भावनाऐं आहत एवं व्यथित हुई हैं एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न भी हुआ है साथ ही प्रार्थी की ख्याति की भी अपहानि हुई है। उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा भविष्य में अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ प्रार्थी को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की प्रबल सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिस कारणवश प्रार्थी अत्यन्त तनावग्रस्त है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत आपसे करबद्ध अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में यथोचित एवं न्यायोचित कार्यवाही करने की अनुकम्पा करें, जिससे कि प्रार्थी भविष्य में भी पूर्ण मनोयोग से निगम कार्य हित में आवंटित कार्यों का सुचारू रूप से सम्पादन कर सके।

दिनांकः–03.04.2025

सीमा देवी
3/4/25

कार्यालय मुख्य अभियन्ता * पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ
डाक प्राप्ति

भवदीय

(सिद्धार्थ गर्ग)
कार्यकारी सहायक
मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ

दूरभाष / Ph. : 0121-2645727
ई-मेल: ce.mrt2@pvvnl.org
meerutzone2nd@gmail.com
mrtzonecommercial@gmail.com

कार्यालय
Office of the
मुख्य अभियन्ता(वितरण)
CHIEF ENGINEER(DISTRIBUTION)
मेरठ क्षेत्र-द्वितीय,
MEERUT ZONE-2,
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT-250001
CIN- U31200UP2003SGC027458

(2.1)

पत्रांक: 02 मु०अ०मे०क्षे०-2/प्रा०/पुरा/शिकायत दिनांक: 03 .04.2025

विषयः विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों के मानसिक उत्पीड़न एवं परेशान करने की नीयत से की जा रही शिकायतों के सम्बन्ध में।

संलग्नक-2

निदेशक (वित्त),
प०वि०वि०नि०लि०,
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-03/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ, दिनांक 02.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके तहत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ में श्री सिद्वार्थ गर्ग (कार्यकारी सहायक) द्वारा विगत 04 वर्षो में सम्पादित की गई निविदाओं की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ द्वारा अपने पत्रांक-097/वि०वि०मं०-द्वि०मे०/सा०/ई-4, दिनांक 03.04.2025 (संलग्नक-1) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री सिद्वार्थ गर्ग (कार्यकारी सहायक), विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ में दिनांक 29.10.2022 से 11.07.2024 तक कार्यरत थे, इस दौरान उनके द्वारा वाणिज्यिक अनुभाग का कार्य देखा गया, निविदा से सम्बन्धित कोई भी कार्य नहीं देखा गया। इस सम्बन्ध में माँगी गई सूचना शून्य समझी जाये।

अग्रेतर अवगत कराना है कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, मेरठ ने अद्योहस्ताक्षरी को पत्रांक 10430/वि०वि०मं०मे०/तक०, दिनांक 31.03.2025 **(संलग्नक-2)** के माध्यम से अवगत कराया है कि आपके द्वारा उनको फोन करके ई-निविदा सं०-96 (कार्य)/वि०वि०मं०-एमटी०/2024-25, जोकि विद्युत वितरण मण्डल- प्रथम के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों के प्रयोगार्थ वाहन उपलब्ध कराने से सम्बन्धित है तथा दिनांक 01.04.2025 से वाहन लगाये जाने है, की एल०ओ०आई० जारी करने हेतु मना किया गया, यह एल०ओ०आई० दिनांक 01.04.2025 से पूर्व की जानी अतिआवश्यक थी, अन्यथा विभाग के अधिकारियों को 01.04.2025 से वाहन उपलब्ध नहीं होते और विभागीय कार्य प्रभावित होता। इसी प्रकार से इस कार्यालय में कार्यरत श्री सिद्वार्थ गर्ग कार्यकारी सहायक ने अवगत **(संलग्नक-3)** कराया है कि आपके द्वारा उन्हें दिनांक 02.04.2025 अपने कार्यालय में बुलाया गया था और उनसे कहा गया कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायते हैं, मुझे उन पर जाँच करनी है। विभाग में अब तक कहाँ-कहाँ तैनात रहे हो, इसकी सूचना तुरन्त दो।

आज दिनांक 03.04.2025 को आपके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को 11:37 मिनट पर फोन के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, मेरठ द्वारा ई-निविदा सं०-96 (कार्य)/वि०वि०मं०-एमटी०/2024-25 की एल०ओ०आई० जारी करने से मना करने के बावजूद एल०ओ०आई० जारी करने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा मुझे अपने कार्यालय में आने हेतु निर्देशित किया गया। आपके द्वारा फोन पर यह भी कहा गया कि मैसर्स खूशबु ट्रैवल्स, मेरठ ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम, मेरठ एवं उनके कार्यालय सहायकों एवं श्री सिद्वार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक के विरूद्ध ढेर सी शिकायतें की हैं, जिनकी उन्हें जाँच करनी है। महोदय, उपरोक्त के सन्दर्भ में अनुरोध करना है कि निविदा सम्बन्धित समस्त कार्य ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे है, जोकि स्वतः पूर्णरूप से पारदर्शी हैं, फिर भी जिन निविदाकारों को निविदा की नियम एवं शर्तो को पूरा न करने अथवा उनके द्वारा अधिक रेट कोट करने के कारण निविदा उनके पक्ष में न अवार्ड नही होती है, उनके द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को मानसिक रूप से परेशान/प्रताड़ित करने की नीयत से विभिन्न स्तरों पर बेवजह शिकायतें की जाती हैं। इस प्रकार से विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की मंशा से की जाने वाली शिकायतों पर रोक लगाने हेतु उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के पत्रांक-30-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2020-14-ज०श०/

08(टी०श०), दिनांक–09.01.2020 (संलग्नक–4) के बिन्दु संख्या–02 के तहत व्यवस्था की गयी है कि विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्व विशिष्ट व्यक्तियों (मा० सांसद/विधायक इत्यादि) के अतिरिक्त अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ–पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाये और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाये, जिससे विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को बेवजह एवं परेशान करने की नीयत से की जाने वाली शिकायतों पर रोकथाम लग सकें। उपरोक्त के सन्दर्भ में विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामलों में प्राथमिक जाँच पड़ताल करने के बाद ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यथोचित निर्देश देने की कृपा करें, जिससे कि अनावश्यक रूप से विभागीय कार्य बाधित न हों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को अनावश्यक मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े।

(२.२)

संलग्नकः– यथोपरि (04 नग संलग्नक)।

(यदुनाथ यथार्थ)
मुख्य अभियन्ता(वि०)

पत्रांकः 02 मु०अ०मे०क्षे०–2/वा०/ दिनांकः 03.04.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, महोदया, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।

(यदुनाथ यथार्थ)
मुख्य अभियन्ता(वि०)

E:AJAY DATA WORKS-2024-25 ALL Letter All letter cae-2 MKT 1.docx

Office of the
Superintending Engineer
Electricity Distribution Circle-2
Pallavpuram, Phase-2, Meerut (U.P.)
Pincode-250110

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ
विद्युत वितरण मण्डल–द्वितीय
पल्लवपुरम, फेज–2, मेरठ (उ0प्र0)
पिनकोड–250110

E-mail:- seedc2mrt@gmail.com

(2·3)

पत्रांक- 097 /वि0वि0मं0–द्वि0मे0/सा0/ई–4 दिनाँक 3 APR 2025

विषय– विगत 04 वर्षों की निविदाओं की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

मुख्य अभियन्ता(वितरण),
मेरठ क्षेत्र–द्वितीय,
मेरठ।

संलग्नक–1

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने पत्रांक 04/मु0अ0मे0क्षे0–द्वि0/मे0/मुख्यालय/शिकायत/एम0जैड0–2, दिनांक 02.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निदेशक (वित्त) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के पत्रांक 03/पविविनिलि/मेरठ, दिनांक 02.04.2025 के द्वारा इस कार्यालय में तैनात रहे कार्मिक श्री सिद्वार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक द्वारा विगत 04 वर्षो में सम्पादित की गयी निविदाओं की सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उक्त के आलोक में सादर संज्ञानित कराना हैं कि श्री सिद्वार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक इस कार्यालय में दिनांक 29.10.2022 (अपरान्ह) से 11.07.2024 (पूर्वान्ह) तक कार्यरत रहें उक्त अवधि में इनके द्वारा वाणिज्य अनुभाग से सम्बंधित कार्य का निष्पादन किया गया। अतः निर्धारित प्रारूप की सूचना शून्य समझी जायें।

Sr.No.	Year	Tender No.	Tender Work Specification	Tender Value	L1 Firm	Total No. of Firm Participated
NIL						

(धर्म विजय)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक:– /वि0वि0मं0–द्वि0मे0/तद् दिनांक:–

प्रतिलिपि निदेशक(वित्त) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म विजय)
अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0
विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

☎:- 9193300950 (२·५)
MailI.D
Se1.mrt@pvvnl.org
edcmeerut@gmail.com

पत्रांकः-1043O / वि0वि0मं0मे0 / तक0 /　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः- 31-03-2025

विषयः—ई—निविदा सं0—96 (विभागीय वाहन किराये पर उपलब्ध कराना)के विरूद्ध LOI जारी करने के सम्बन्ध में।

संलग्नक - 2

मुख्य अभियन्ता (वि0),
मेरठ क्षेत्र—द्वितीय,
मेरठ।

कृप्या अवगत कराना है कि वि0वि0मं0—प्रथम मेरठ के कार्यक्षेत्र में तैनात अधिकारियों के उपयोग हेतु दिनांक 01.04.2025 से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय द्वारा ई—निविदा सं0—96 आमंत्रित की गई थी जिसका Price Bidखोलने पर गणेश कॉन्ट्रेक्टर L-1पायी गई। चूंकि दिनांक 01.04.2025 से नयी फर्म को अधिकारियों के प्रयोगार्थ वाहन उपलब्ध कराना था अतः इस हेतु दिनांक 31.03.2025 तक संबंधित फर्म को LOI जारी करना अति आवश्यक था। दिनांक 01.04.2025 श्री एस0 के0 तोमर, निदेशक (वित्त), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को फोन पर निर्देशित किया गया कि मै0 खुशबु ट्रेडर्स द्वारा इस टेण्डर में गडबडी की जाने की शिकायत की गई है। अग्रतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 31.03.2025 को वाहन मिले उसके लिए LOI जारी कर दिया गया है जिससे कि कार्य प्रभावित न हो। जिस पर निदेशक वित्त द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया। अतः उक्त परिस्थितियों में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(अभिषेक सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

(2·5)

संलग्नक – 3

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (वि०),
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मेरठ क्षेत्र–द्वितीय,
विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

विषयः– दिनांक 02.04.2025 को निदेशक (वित्त), महोदय कार्यालय प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर अभद्र व्यवहार करने एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप स्वयं अवगत ही हैं कि दिनांक 02.04.2025 को आपके मौखिक रूप से एवं निदेशक (वित्त), महोदय, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक महोदया, पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ के कैम्प कार्यालय से सी०यू०जी० मोबाईल नं०–09193330055 से समय सांय 16:09 बजे प्रार्थी को निदेशक (वित्त), महोदय के कक्ष में तत्काल उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में प्रार्थी दिनांक 02.04.2025 को तत्काल (लगभग 16:15 बजे) निदेशक (वित्त) महोदय के कक्ष में उपस्थित हुआ जहाँ पर निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा अकारण प्रार्थी की कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए प्रार्थी पर भृष्टाचार सम्बन्धी मनगढंत, मिथ्या एवं निराधार गम्भीर आरोप अभियोजित किये गये एवं भविष्य में प्रार्थी का विभागीय करियर समाप्त करने की चेतावनी एवं धमकी भी दी गयी साथ ही प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुऐ प्रार्थी के व्यक्तिगत जीवन पर भी कई बार अमर्यादित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी।

सादर संज्ञानित कराना है कि प्रार्थी द्वारा निरन्तर निगम कार्य हित में आवंटित कार्यों का ससमय गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किये जाने एवं कार्यालय अभिलेखों की गोपनीयता बनाये रखने के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा सौंपे गये दायित्वों एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में इंगित नियमों के अनुकूल ही कार्य किया जा रहा है। निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा प्रार्थी की सत्यनिष्ठा/प्रतिष्ठा पर इस प्रकार का प्रश्नचिन्ह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा अभियोजित मनगढंत, मिथ्या एवं निराधार आक्षेपों एवं अभद्र व्यवहार से प्रार्थी की भावनाऐं आहत एवं व्यथित हुई हैं एवं मानसिक रूप से उत्पीड़न भी हुआ है साथ ही प्रार्थी की ख्याति की भी अपहानि हुई है। उपरोक्त के दृष्टिगत निदेशक (वित्त) महोदय द्वारा भविष्य में अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ प्रार्थी को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की प्रबल सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिस कारणवश प्रार्थी अत्यन्त तनावग्रस्त है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत आपसे करबद्ध अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में यथोचित एवं न्यायोचित कार्यवाही करने की अनुकम्पा करें, जिससे कि प्रार्थी भविष्य में भी पूर्ण मनोयोग से निगम कार्य हित में आवंटित कार्यों का सुचारू रूप से सम्पादन कर सके।

दिनांकः–03.04.2025

भवदीय

(सिद्धार्थ गर्ग)
कार्यकारी सहायक
मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ

(2-6)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-30-जन0शि0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2020-14-जन0शि0/08(जी0आर0) दिनांक 09.01.2020

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
वि0वि0नि0लि0, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को),
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

संलग्नक-5

विषय- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती/गुमनामी पत्रों का निस्तारण उ0प्र0 शासन के विभिन्न शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-13/1/97-का-1/2012 दिनांक 19.03.2012 (छायाप्रति संलग्न) एवं तत्पश्चात सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-13/1/97-का-1/1997 दिनांक 09.05.1997 द्वारा समूह 'क' तथा सचिव के निर्गत पत्र संख्या-13/1/97-का-1/1997 दिनांक 01.08.1997 द्वारा समूह ख, ग एवं घ श्रेणी के विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती/शिकायती पत्रों का निस्तारण निम्नवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है का सन्दर्भ ग्रहण करें:-

1. विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।
2. अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाये और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है कि विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती पत्रों का निस्तारण उ0प्र0 शासन के उपरोक्त आदेशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-30(1)-जन0शि0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2020 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को, कानपुर।
3. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

(3.1)

संलग्नक-3

सेवा में,

एम० डी० महोदया
प० वि० वि० नि० लि०
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

विषय:- डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस० के० तोमर द्वारा प्रार्थिनी के पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र कार्यालय, मेरठ में माह जुलाई 2024 से कार्यकारी सहायक के पद पर तैनात हैं।

अवगत कराना है कि पिछले 1-2 माह से प्रार्थिनी के पति पर डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस० के० तोमर की घनिष्ठता बता कर कुछ ठेकेदारों द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मेरे पति अत्यन्त तनाव की स्थिति में हैं। इसी तनाव के रहते दिनांक 12.03.2025 को कार्यालय से घर लौटते समय उनका रोड एक्सीडेंट भी हो गया था। परन्तु ईश्वर की असीम कृपा से उन्हें कोई चोट नहीं आई।

अवगत कराना है कि दिनांक 2.04.2025 को डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस० के० तोमर द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर प्रार्थिनी के पति पर निराधार आरोप लगाकर अनावश्यक दबाव बनाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया तथा ब्लैकमेल करने के साथ साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। यह भी अवगत कराना है कि डायरेक्टर साहब द्वारा अपने उच्च पद के प्रभाव से मेरे पति का विभागीय भविष्य खराब करने की धमकी भी दी गयी है। मेरे पति श्री सिद्धार्थ गर्ग द्वारा इस घटना की सूचना लिखित रूप से मुख्य अभियन्ता महोदय को दी गयी है।

महोदया डायरेक्टर साहब के इस घृणित कृत्य से प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी का परिवार सदमे की स्थिति में है और मेरे पति भी स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने के कारण उक्त घटना से भी अधिक तनावग्रस्त है। इस परिस्थिति में लगातार मानसिक तनाव के रहते यदि मेरे पति के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर कार्मिक श्री एस०के० तोमर की ही होगी।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार को न्याय दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी सदैव आपकी आभारी रहेगी।

दिनांक-04-04-2025

प्रतिलिपि

1. मुख्य अभियन्ता (वित०) मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता डाक प्राप्ति पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक डाक प्राप्ति पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ
9/4/25 M.D

प्रार्थिनी
Pooja Garg
(पूजा गर्ग)
पत्नी श्री सिद्धार्थ गर्ग
कार्यकारी सहायक
मेरठ क्षेत्र-द्वितीय मेरठ
मो०-9358050402

(५.१)
संलग्नक-५

A K SHARMA

TEJ | Technologies for Empowerment & Justice

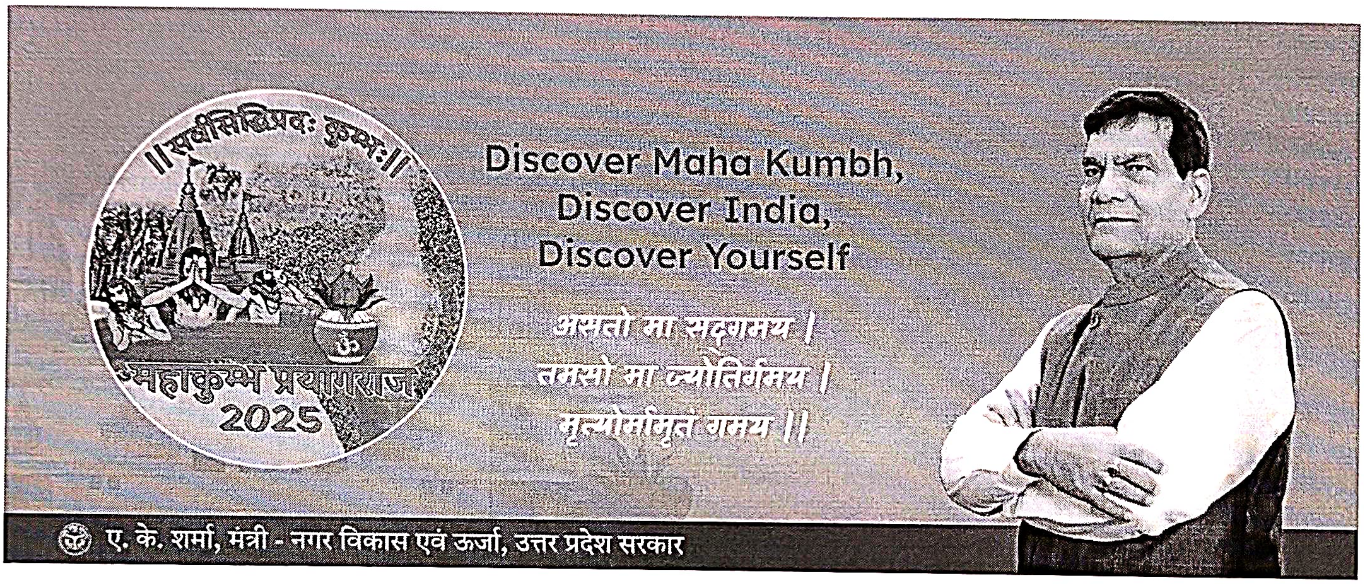

Grievance Status for Registration Number : UTT/PG/ENE/04/25/00058351

Grievance Concerns To

Application Date / आवेदन तिथि:	07-04-2025
State / राज्य:	Uttar Pradesh
Your Name / आपका नाम:	PUJA GARG

(५·२)

Date of Birth / जन्म तिथि:	1985-09-23
Email Address / ई-मेल एड्रेस:	poojagarg.2985@gmail.com
Mobile Number / मोबाइल नंबर:	9358050402
Occupation / व्यवसाय:	Others
Area / क्षेत्र:	Rural
District / जिला:	MEERUT (169) / मेरठ (169)
Sub-District / Tehsil (उप-जिला / तहसील):	SARDHANA (732) / सरधना (732)
Block / ब्लॉक:	DAURALA (1388) / दौराला (1388)
Village / गाँव:	SIWAYA-JAMALULLAPUR (118676) / सिवईया-जमालपुर (118676)
Address / पता:	DUPLEX No.-144, GREEN HEIGHTS COLONY, OPPOSITE SVBP AGRICULTURE UNIVERSITY, NH-58, ROORKEE ROAD, MODIPURAM, MEERUT, U.P. (250110)
Nature of Interaction / बातचीत की प्रकृति:	Grievance
Department / विभाग:	Energy
Type Of Complaint / शिकायत का प्रकार :	Others / अन्य

(५·३)

Message / संदेश:	श्री एस०के०तोमर, डायरेक्टर फाईनेन्स, प०वि०वि०नि०लि०, ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ के साथ अभद्र व्यवहार, ब्लैकमेलिंग एवं मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।
Attachment / अनुरक्ति:	qOSKyvsp.pdf,

Office Concerns To:

Name of Office / कार्यालय का नाम:	A K Sharma's Office / ए. के. शर्मा का कार्यालय
Office Address / कार्यालय का पता:	14, Kalidas Marg, Lucknow, 226001 / १४, कालिदास मार्ग, लखनऊ, २२६००१
Email Address / ई-मेल एड्रेस:	aks4bjp@gmail.com, minister.ude@up.gov.in
Phone Number / फ़ोन नंबर:	0522-2972671, 0522-3517444 / ०५२२-२९७२६७१, ०५२२-३५१७४४४
Status	INPROGRESS

Close

Copyright © 2024 A. K. Sharma
Designed & Developed by Augmented

(4·4)

(134)

(5·1)

Application No	Name	Mobile No	Email Address	Nature of Interaction	Status
UTT/PG/ENE/04/25/00058351	PUJA GARG	9358050402	poojagarg.2985@gmail.com	Grievance	INPROGRESS

संलग्नक-5

Applicant Information

Application Date:	Date of Birth:	Occupation:	State:	Area:
2025-04-07	1985-09-23	Others	Uttar Pradesh	Rural

Geographical Information

District:	Sub-District/Tehsil:	Block:	Village:	Address:
MEERUT (169)	SARDHANA (732)	DAURALA (1388)	SIWAYA-JAMALULLAPUR (118676)	DUPLEX No.-144, GREEN HEIGHTS COLONY, OPPOSITE SVBP AGRICULTURE UNIVERSITY, NH-58, ROORKEE ROAD, MODIPURAM, MEERUT, U.P. (250110)

Received Through

Application Received Through:	Department:	Type of Complaint:
TEJ	Energy	Others

अध्यक्ष,
UPPCL

2/2
15-04-2025
(गेंदा सिंह)
निजी सचिव
मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन,
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
उ० प्र० शासन।

Request Information

Message

श्री एस०के०तोमर, डायरेक्टर फाईनेन्स, प०वि०वि०नि०लि०, ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ के साथ अभद्र व्यवहार, ब्लैकमेलिंग एवं मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।

Attachment

...00SKwse.pdf

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

(5.2)

एम॰डी॰ महोदया
प॰वि॰वि॰नि॰लि॰
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

विषय:- डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस॰के॰ तोमर द्वारा प्रार्थिनी के पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि॰), मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ में माह जुलाई 2024 से कार्यकारी सहायक के पद पर तैनात हैं।

अवगत कराना है कि पिछले 1-2 माह से प्रार्थिनी के पति पर डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस॰के॰ तोमर की घनिष्ठता बताकर कुछ ठेकेदारों द्वारा विभागीय नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मेरे पति अत्यन्त तनाव की स्थिति में हैं। इसी तनाव के रहते दिनांक 12.03.2025 को कार्यालय से घर लौटते समय उनका रोड एक्सीडेंट भी हो गया था। परन्तु ईश्वर की असीम कृपा से उन्हें कोई चोट नहीं आई।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.04.2025 को डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस॰के॰ तोमर द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर प्रार्थिनी के पति पर निराधार आरोप लगाकर अनावश्यक दबाव बनाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया तथा ब्लैकमेल करने के साथ-साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। यह भी अवगत कराना है कि डायरेक्टर साहब द्वारा अपने उच्च पद के प्रभाव से मेरे पति का विभागीय भविष्य खराब करने की धमकी भी दी गयी है। मेरे पति श्री सिद्धार्थ गर्ग द्वारा इस घटना की सूचना लिखित रूप से मुख्य अभियन्ता महोदय को दी गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

(5.3)

महोदया डायरेक्टर साहब के इस घृणित कृत्य से प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी का परिवार सदमें की स्थिति में है और मेरे पति श्री स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने के कारण उनके पद से भी अधिक तनावग्रस्त है। इस परिस्थिति में लगातार मानसिक तनाव के रहते यदि मेरे पति के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस०के० तोमर की ही होगी।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार को न्याय दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी सदैव आपकी आभारी रहेगी।

दिनांक-04-04-2025

प्रतिलिपि

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण) मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ

कार्यालय मुख्य अभियन्ता डाक प्राप्ति पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक डाक प्राप्ति पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ

5/4/25 M.D

प्रार्थिनी
Pooja Garg
(पूजा गर्ग)
पत्नी श्री सिद्धार्थ गर्ग
कार्यकारी सहायक
मेरठ क्षेत्र-द्वितीय मेरठ
मो०-9358050402

Scanned with OKEN Scanner

(6.1)

संलग्नक–6

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (वि०),
मेरठ क्षेत्र–द्वितीय,
मेरठ।

विषयः– प्रार्थिनी के पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 04.04.2025 को वापिस लिये जाने हेतु कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की चेतावनी देते हुऐ लगातार दबाब बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग आपके कार्यालय में जुलाई–2024 से कार्यकारी सहायक के पद पर तैनात हैं।

आपको अवगत कराना है कि प्रार्थिनी द्वारा आपको अपने पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 04.04.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से अवगत कराया गया था कि श्री एस०के०तोमर, डायरेक्टर फाईनेन्स, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ द्वारा कुछ ठेकेदारों की घनिष्ठता के प्रभाव में दिनांक 02.04.2025 को मेरे पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उन पर निराधार आरोप लगाते हुऐ उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं उनका मानसिक उत्पीड़न करने के साथ–साथ ब्लैकमेलिंग की स्थिति उत्पन्न करते हुऐ उनका विभागीय भविष्य खराब करने की धमकी देकर उन पर अनावश्यक दबाब बनाया गया। आपको यह भी अवगत कराया गया था कि उपरोक्त कारणवश प्रार्थिनी के पति के स्वाभिमान को ठेस पँहुचने के कारण वह अत्यन्त तनाव की स्थिति में हैं एवं उनकी इस स्थिति को देखते हुऐ प्रार्थिनी का पूरा परिवार तनावग्रस्त है।

अवगत कराना है कि उपरोक्त शिकायती पत्र प्रेषित करने के उपरान्त प्रार्थिनी के पति को घर से कार्यालय आते–जाते समय एवं प्रार्थिनी को घरेलू कार्य हेतु घर से बाहर आते–जाते समय अक्सर विभिन्न अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर प्रार्थिनी द्वारा पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 04.04.2025 को वापिस लिये जाने हेतु दबाब बनाया जा रहा है एवं शिकायत वापिस न लिये जाने की स्थिति में जाने से मारने की चेतावनी भी दी जा रही है साथ ही कुछ अज्ञात लोगों द्वारा प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग को बदनाम करने के उद्देश्य से फर्जी शिकायतें कर उनके विभागीय कार्य करने के मनोबल को हतोत्साहित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त विभिन्न कारणों से लगातार मानसिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण मेरे पति श्री सिद्धार्थ गर्ग का मानसिक रोग चिकित्सक से उपचार भी चल रहा है **(छायाप्रति संलग्न)।**

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि प्रार्थिनी के पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 04.04.2025 पर न्यायोचित कार्यवाही के क्रम में प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार के शारीरिक/मानसिक सुरक्षोपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरठ को अवगत कराने हेतु आवश्यक संज्ञान लेने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

दिनांकः–05.05.2025

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ
डाक प्राप्ति
5/5/25

प्रार्थिनी

Pooja Garg

(पूजा गर्ग)
पत्नी श्री सिद्धार्थ गर्ग
कार्यकारी सहायक
मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ
मो०नं०–9358050402

सेवा में,

(7·1)

संलग्नक-7

DB 3361
8/4/25

एम०डी० महोदया
प०वि०वि०नि०लि०
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

विषय:- डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस०के०तोमर द्वारा प्रार्थिनी के पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में।

शि० प्र० प्राप्ति 1144 दिनांक 08/04/25

महोदया,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी के पति श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ में माह जुलाई 2024 से कार्यकारी सहायक के पद पर तैनात हैं।

अवगत कराना है कि पिछले 1-2 माह से प्रार्थिनी के पति पर डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस०के०तोमर जी द्वारा घनिष्ठता बताकर कुछ ठेकेदारों द्वारा वि० भागीय नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मेरे पति अत्यन्त तनाव की स्थिति में हैं। इसी तनाव के रहते दिनांक 12.03.2025 को कार्यालय से घर लौटते समय उनका रोड एक्सीडेन्ट भी हो गया था। परन्तु ईश्वर की असीम कृपा से उन्हें कोई चोट नहीं आई।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.04.2025 को डायरेक्टर फाइनेन्स श्री एस०के०तोमर द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर प्रार्थिनी के पति पर निराधार आरोप लगाकर अनावश्यक दबाव बनाते हुए अभद्र व्यवहार किया गया तथा ब्लैकमेल करने के साथ-साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। यह भी अवगत कराना है कि डायरेक्टर साहब द्वारा अपने उच्च पद के प्रभाव से मेरे पति का विभागीय भविष्य खराब करने की धमकी भी दी गयी है। मेरे पति श्री सिद्धार्थ गर्ग द्वारा इस घटना की सूचना लिखित रूप में मुख्य अभियन्ता महोदय को दी गयी है।

अधीक्षण अभियन्ता (शि०प्र०)
09/04
मु०अभि०(शि०प्र०)
प०वि०वि०नि०लि० मेरठ

DIR(COMM)
DIR(P&A)
DATE 7/4/25

(7.2)

महोदया डायरेक्टर साहब के इस घृणित कृत्य से प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी का परिवार सदमे की स्थिति मे है और मेरे पति भी स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने के कारण अब पहले से भी अधिक तनावग्रस्त है। इस परिस्थिति में लगातार मानसिक तनाव के रहते यदि मेरे पति के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर कार्मिक श्री एस०के० तोमर की ही होगी।

516 ....MD CAMP/ PVVN 05/04/25

अत: उपरोक्त के सम्बन्ध मे आपसे हाथजोड़कर अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान मे ले कर प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार को न्याय दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थिनी सदैव आपकी आभारी रहेगी।

दिनांक-04-04-2025

प्रतिलिपि

1. मुख्य अभियन्ता (वि०), मेरठ क्षेत्र-द्वितीय, मेरठ

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
DIR (P&M)
DIR (COM)
DIR (TECH)
DIR (PM)
CE (...) SO
MEERUT
DATE 05-04-25

प्रार्थिनी
Pooja Garg
(पूजा गर्ग)
पत्नी श्री सिद्धार्थ गर्ग
कार्यकारी सहायक
मेरठ क्षेत्र-द्वितीय मेरठ
मो०-9358050402

(3) Email

पत्रांक 765 CGEMRI-2 /शि०प्र० दिनांक 29/05/25
कृपया उक्त प्रकरण का सर्वोच्च प्राथमिकता पर विभागीय नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करावकर निस्तारण आख्या से 03 कार्य दिवसों के अन्दर इस कार्यालय के सूचनाधीन सम्बन्धित शिकायतकर्ता को बिना किसी अग्रिम अनुस्मारक के अवगत कराने का कष्ट करें।

29/05

अधीक्षण अभियन्ता(शि०प्र०)
प०वि०वि०नि०लि० मेरठ

दूरभाष & Ph. : 0121-2646727
ई-मेल: ce.mrt2@pvvnl.org
meerutzone2nd@gmail.com
mrtzonecommercial@gmail.com

कार्यालय
Office of the
मुख्य अभियन्ता(वितरण)
CHIEF ENGINEER(DISTRIBUTION)
मेरठ क्षेत्र-द्वितीय,
MEERUT ZONE-2,
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT-250001
CIN- U31200UP2003SGC027458

(8.1)

पत्रांकः 200 मु0अ0मे0क्षे0–2/मुख्या0/शिकायत(अधि0) दिनांकः 06.06.2025

विषयः श्रीमती पूजा गर्ग पत्नी श्री सिद्धार्थ गर्ग द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में।

संलग्नक – 8

अधीक्षण अभियन्ता(शि0प्र0)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

उपरोक्त विषयक स्वकार्यालय पत्र संख्या 765–शि0प्र0, दिनांक 29.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

उक्त के माध्यम से श्रीमती पूजा गर्ग पत्नी श्री सिद्धार्थ गर्ग, कार्यकारी सहायक, मेरठ क्षेत्र द्वितीय, मेरठ, मोबाइल नं0 9358050402 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, महोदया, प0वि0वि0नि0लि0 ,मेरठ को सम्बोधित प्रार्थना पत्र, दिनांक 04.04.2025 की छायाप्रति विभागीय नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त शिकायत इस कार्यालय को भी प्राप्त हुई है तथा यह प्रश्नगत शिकायती प्रकरण हाई–प्रोफाइल होने के दृष्टिगत इसकी जॉच मुख्यालय/ कारपोरेशन स्तर से ही कराया जाना उचित होगा।

(यदुनाथ यथार्थ)
मुख्य अभियन्ता(वितरण)

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062

ई–मेल/डाक

CIN : U31200UP2003SGC027458

कायालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि०
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001

(9·1)

सं०   /पविविनिलि/मे०/हा०/ई–3   दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

सलंग्नक–1

एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यकारी सहायक कार्मिक को **"प्रशासनिक आधार पर"** स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित इकाई में आंवटित किया जाता है :–

क्र० सं०	कार्मिक का नाम, पिता का नाम/ गृह जनपद/सैप आई.डी.	वर्तमान तैनाती इकाई/कार्यालय	नव आंवटित इकाई/कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र श्री स्व0 श्री न्रपेन्द्र कुमार गर्ग/अलीगढ/16700307	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ–द्वितीय, मेरठ	बुलन्दशहर क्षेत्र।

उपरोक्त आदेश मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल नियमानुसार अनुमन्य होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नव तैनाती इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

कार्मिक को वर्तमान जनपद से अन्य जनपद मे स्थानान्तरित होने की स्थिति मे कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ईआरपी/सैप प्रणाली के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाये।

यदि वर्तमान तैनाती का इकाई/कार्यालय, अंकित इकाई/कार्यालय से भिन्न है, उस दशा मे कार्यालय ज्ञाप में अंकित इकाई/कार्यालय के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती इकाई/कार्यालय प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 751 (i)/पविविनिलि, तद्दिनांक : 18 JUN 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), पविविनिलि, मेरठ क्षेत्र–द्वितीय, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), पविविनिलि, बुलन्दशहर क्षेत्र, बुलन्दशहर।
4. सम्बन्धित कार्मिक/कट फाइल।

(विनोद कुमार अवस्थी)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)

(10.1)

संलग्नक-10

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-30-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2020-14-ज0श0/98 (टी0सी0), दिनाँक 09.01.2020

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल,
वि0वि0नि0लि0, कानपुर आपूर्ति कम्पनी (केस्को)
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषयः- विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों/शिकायती पत्रों का निस्तारण उ0प्र0 शासन के विभिन्न शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-13/1/97-का-1/2012, दिनाँक 19.04.2012 (छायाप्रति संलग्न) एवं तद्संलग्नक सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-13/1/97-का-1/1997, दिनाँक 09.05.1997 द्वारा समूह 'क' तथा तत्क्रम में निर्गत पत्र संख्या-13/1/97-का-1/1997, दिनाँक 01.08.1997 द्वारा समूह 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों/शिकायती पत्रों का निस्तारण निम्नवत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें :-

1. विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।
2. अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है कि विभाग के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती पत्रों का निस्तारण उ0प्र0 शासन के उपरोक्त आदेशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-30(i)-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को, कानपुर।
3. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (वितरण)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
बुलन्दशहर क्षेत्र, बाईपास रोड़, हाईफिल कालोनी,
बुलन्दशहर–203001
CIN : U31200UP2003SGC027458

E-mail : ce.bsr@pvvnl.org

(11·1)

पत्रांकः 1634 /मु.अ.(वि0)/बु0शहर क्षे0/बु0शहर /ई0–6 दिनांक– 21/6/25

संलग्नक–11

कार्यालय–ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 751/प0वि0वि0नि0लि0/मे0/ह्रा0/ई–3/दिनांक 18.06.2025 के द्वारा एतद्द्वारा निम्नांकित कार्यालय सहायक को निगम कार्यहीत में स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या–04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :–

क्र0सं0	नाम /पदनाम/गृह जनपद/ सैप आई0डी0	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र स्व0श्री नपेन्द्र कुमार गर्ग/अलीगढ़/16700307	बुलन्दशहर क्षेत्र, बुलन्दशहर।	वि0वि0मं0–प्रथम, बुलन्दशहर।

1. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2. उर्पयुक्त अधिकारी/कार्मिक को कार्यभार से स्थानीयं व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा वह इस माह का वेतन नवतैनाती स्थान पर आहरित करेगा।
3. स्थानान्तरण प्रकिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। यदि स्थानान्तरण अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नही किया जाता है तो यह अनुशासनहीता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
4. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि (06)–01 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

मुख्य अभियन्ता

पत्रांकः 1634 /मु.अ.(वि0)/बु0शहर क्षे0/बु0शहर/ तद्दिनांक– 21/6/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, बुलन्दशहर।
2. सम्बन्धित कार्मिक।
3. कट फाईल।

(संजीव कुमार)
मुख्य अभियन्ता

Mob : 9193302100
CIN : U31200UP2003SGC027458
Email : seedc1bsr@pvvnl.org

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता (11·2)
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0
विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम
हाईडिल कालोनी, बुलन्दशहर–203001

पत्रांक :– /वि0वि0मं0प्र0बु0/ दिनांक :–

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक,प0वि0वि0नि0लि0 विक्टोरिया पार्क मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 751/पविविनिलि/मे/हा/ई–3 दिनांक 18.06.2025 एवं मुख्य अभियन्ता(वि0) बु0शहर क्षेत्र, बुलन्दशहर के कार्यालय, ज्ञाप सं0 1674/मु0अ0(वि)/बु0शहर क्षे0/बु0शहर/ई0–5 दिनांक 21.06.2025 के द्वारा एतद्द्वारा निम्नांकित कार्यालय सहायक को निगम कार्यहित में स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या–04 में अंकित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :–

क्र0	नाम/पदनाम/गृह जनपद/सैप आई0डी0	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	श्री सिद्धार्थ गर्ग/स्व0 श्री नपेन्द्र कुमार गर्ग/अलीगढ़/16700307	विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, बुलन्दशहर	विद्युत परीक्षण खण्ड–प्रथम, बुलन्दशहर

1– उपरोक्त तैनाती/स्थानान्तरण आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं0 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2– नियत्रंक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3– उक्त के अनुपालन में स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई0आर0पी0/सैप प्रणाली के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाये।
4– स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नही होगा।
5– स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक :– 956 /वि0वि0मं0प्र0बु0/तद्दिनांक:– 21/6/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– मुख्य अभियन्ता(वि0) बुलन्दशहर क्षेत्र, बुलन्दशहर।
2– अधीक्षण अभियन्ता(हा0), प0वि0वि0नि0लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
3– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड–प्रथम, बुलन्दशहर।
4– सम्वन्धित कार्मिक/कट फाईल।

अधीक्षण अभियन्ता

कार्यालय (11·3)
अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विद्युत परीक्षण खण्ड–प्रथम
हाईडिल कॉलोनी, बुलन्दशहर

Mob. No. 9193302020
E-Mail Add. – xentest1.bsr@pvvnl.org
CIN - U31200UP2003SGC027458

पत्रांक :– 361 / वि0प0खं0प्र0बु0 / कैम्प दिनांक 30.06.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निगमहित में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, बुलन्दशहर के कार्यालय ज्ञाप सं0–956 / वि0वि0मं0प्र0बु0 / दिनांक 21.06.2025 के अनुपालन में श्री सिद्धार्थ गर्ग (SAP ID 16700307) कार्यकारी सहायक के द्वारा दिनांक 30.06.2025 की अपराह्न में इस खण्ड को योगदान आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त श्री ललित कुमार गुप्ता (SAP ID 16700171) कार्यकारी सहायक लेखानुभाग के वेतन कार्य, ERP के समस्त कार्य, कोर्ट केस आदि कार्यो के सम्पादन हेतु अग्रिम आदेश तक कार्य आवंटित किया जाता है।

संलग्न– यथोपरि।

(एस0के0वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

e-mail

पत्रांक :– 361 / वि0प0खं0प्र0बु0 / कैम्प दिनांक– 30.06.2025

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वि0) प0वि0वि0नि0लि0, बुलन्दशहर क्षेत्र बुलन्दशहर।
2. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, बुलन्दशहर।
3. उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रिय कार्यालय बुलन्दशहर क्षेत्र बुलन्दशहर।
3. सहायक लेखाकार, लेखानुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप श्री सिद्धार्थ गर्ग (SAP ID 16700307) कार्यकारी सहायक को श्री ललित कुमार गुप्ता, (SAP ID 16700171) कार्यकारी सहायक के समस्त कार्य हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री ललित कुमार गुप्ता (SAP ID 16700171) कार्यकारी सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने समस्त कार्य उपरोक्तानुसार हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री सिद्धार्थ गर्ग (SAP ID 16700307) कार्यकारी सहायक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय (11·4)
अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विद्युत परीक्षण खण्ड–प्रथम
हाईडिल कॉलोनी, बुलन्दशहर

Mob. No. 9193302020
E-Mail Add. – xentest1.bsr@pvvnl.org
CIN - U31200UP2003SGC027458

पत्रांक :– / वि0प0खं0प्र0बु0 / दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा इस कार्यालय के पूर्व के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 361 दिनांक 30.06.2025 को निगमहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(एस0के0वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

e-mail

पत्रांक :–0712 / वि0प0खं0प्र0बु0 / दिनांक–09-07-2025

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वि0) प0वि0वि0नि0लि0, बुलन्दशहर क्षेत्र बुलन्दशहर।
2. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, बुलन्दशहर।
3. उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रिय कार्यालय बुलन्दशहर क्षेत्र बुलन्दशहर।
4. सहायक लेखाकार, लेखानुभाग।
5. श्री सिद्धार्थ गर्ग (SAP ID 16700307) कार्यकारी सहायक।

(एस0के0वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

FE FILE 2021

Mob. No. 9193302020
E-Mail Add. – xentest1.bsr@pvvnl.org
CIN - U31200UP2003SGC027458

(11·5)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत परीक्षण खण्ड–प्रथम
हाईडिल कॉलोनी, बुलन्दशहर

पत्रांक :– / वि०प०खं०प्र०बु० / दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निगमहित में श्री सिद्धार्थ गर्ग कार्यकारी सहायक (SAP ID 16700307), विद्युत परीक्षण खण्ड–प्रथम बुलन्दशहर को आई०जी०आर०एस० पोर्टल सम्बन्धित सूचना, कोर्ट केस, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 (R.T.I) आदि कार्य आवंटित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(एस०के०वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

e-mail

पत्रांक :–457 / वि०प०खं०प्र०बु० / दिनांक–17-07-25

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वि०) प०वि०वि०नि०लि०, बुलन्दशहर क्षेत्र बुलन्दशहर।
2. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम, बुलन्दशहर।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. कट फाईल।

(एस०के०वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (वितरण)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
बुलन्दशहर क्षेत्र, बाईपास रोड, हाईडिल कालोनी,
बुलन्दशहर-203001
CIN : U31200UP2003SGC027458

E-mail :
ce.bsr@pvvnl.org

(11.6)

पत्रांक 3227 /मु.अ.(वि0)/बु0शहर क्षे0/बु0शहर /प्र0-6 दिनांक- 18/9/25

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा निम्नांकित कार्यकारी सहायक को प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम/पदनाम/गृह जनपद/ई0पी0 आई0डी0	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	श्री सिद्धार्थ गर्ग पुत्र स्व0श्री नरेन्द्र कुमार गर्ग/अलीगढ़/18700307	विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।	वि0वि0ख0-सिकन्द्राबाद। (ICRS) कार्य

1. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
2. सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जायेगा तथा वह इस माह का वेतन नवतैनाती स्थान पर आहरित करेगा।
3. स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
4. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि (06)-01 दिनांक-11.08.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

मुख्य अभियन्ता

पत्रांक 3227 /मु.अ.(वि0)/बु0शहर क्षे0/बु0शहर/ तद्दिनांक- 18/9/25
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0), प0वि0वि0नि0लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (हा0), प0वि0वि0नि0लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम/द्वितीय, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर)।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाईल।

(संजीव कुमार)
मुख्य अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

(१२·१)

अंजनेय SUPERSPECIALITY HOSPITAL AND NEURO CENTRE

डॉ० भावना तोमर
एम.डी., डी.एम. (न्यूरोलॉजी), L.L.B.
(पी.जी.आई., चण्डीगढ़)
दिमाग, स्पाइन व नस रोग विशेषज्ञ
MCI Reg. No. 52164

• A2/A3, Shradhapuri Phase-2, Meerut Bypass, Kankarkhera, Meerut
• e-mail : bhawanatomar@ymail.com

Patient Name: SIDDHARTHA Siddharth. (ATOL) garg. Age/Sex: 38/M Date: 5/4/25

संलग्नक-12

• BP: 121-77
• Weight: 90 kg
• DM: (-)
• HT: (-)
Thy (-)

gheheralt
Headache (+)
sleep - 6
[illegible] (+)
anguemia (+)
Neg. Hist (-)
2(m)

Adv

1. T. Ventab DXT 25 mg
x — 0 — 9
L8d
x — (15) — 9
(END)

2. T. Dimeet 2.5 mg x — 0

3. T. Prolaum (20/.25) (5/2) — (1)
↓ x 7
(5) — (2)

4. T. Naxdom 0—0—0 2d (OD)

(Avoid sleep deprivation)

(fu x 59)

x (204)

(walk exercise. Yoga)

Specialist In सिर दर्द, माइग्रेन, लकवा/फालिज, ब्रेन हैमरेज, दौरे, मिर्गी के दौरे, दिमाग की टी.बी., दिमाग का कीड़ा, नसों में दर्द, कमजोरी, हाथ–पैर का कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होना, चक्कर आना या बेहोश हो जाना, Myasthenia, Parkinson Disease, Stroke, Thrombolysis & other Neurological Disease

उपलब्ध सुविधायें ▪ DIGITAL EEG ▪ VIDEO EEG ▪ NCV ▪ EMG ▪ VEP ▪ BAER ▪ BOTOX INJECTION

Mob.: 8171082716 For Appointment : 9520952058 Not For Medico-legal Purpose

OPD Timing : • Kankarkhera, Meerut : 8.30 AM से 04.00 PM • SUNDAY CLOSED
• Muzaffarnagar : 9.00 AM to 2.00 PM (Every Thursday)

आनन्द मेमोरियल क्लीनिक

(१२·२)

डॉ० शैलेन्द्र सिंह
परामर्श चिकित्सक एवं चेस्ट स्पेशलिस्ट व ब्रोन्कोस्कोपिस्ट
M.B.B.S., M.D. (KGMC-Lucknow)

- Diploma In Diabetes Mellitus
- Member of Indian Association of Bronchology
- Fellow of American College of Chest Physicians (USA)
- Ex.Chief Resident-Dept. of Pulmonary Medicine KGMU, Lucknow
- Ex. Addidment Professor - Pulmonary Medicine
- Subharti Medical College,Meerut

Pt. Name: Mr Siddharth Garg Age/Sex: 39Y/M Date: 18/9/25

BP 140/100
PR 112
SPO2 97% On RA
TEMP
RBS

Rx

. Allergic Bronchitis c̄ Recurrent Panic Attacks c̄ AM

Severe cough
Headache
Anxiety
Dyspnoea +
Sleep disturbance

- T Ketoprom plus 10 TH
- T Divobex 800 BA
- C Rabivard LS 20
- Sup Kodea ...
- T Bipurd 1g BA ×2/ ... 1/2 BA
- Tab Doxong 400 BA ×3/
- T Montebuy AS ...
- T Petril MD 0.25 SOS
- T Cophedin R TM ... ×5d

Adv
BS f / pp

क्लीनिक : एस.बी.आई. बैंक के सामने, फेस-2, मोदीपुरम, मेरठ।

पराशर्म समय : सोमवार से शनिवार - दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सायं : 7 बजे से 8 बजे तक
रविवार सायं अवकाश NOT FOR MEDICO LEGAL PURPOSE रविवार दोपहर : 1 बजे से 3 बजे तक
Emergency में सम्पर्क करें - 9359132484, 8449436298
नम्बर लिखवाने का समय प्रातः 10 बजे से (मो. नं. - 9536132484)
नोट : पर्चा केवल 5 दिनों के लिये मान्य है।

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन
ऑफ उत्तराखण्ड लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड
दूरभाष सं० 0135-2643459, फैक्स नं० 2645243

PTCUL

Power Transmission Corporation
of Uttarakhand Ltd.
(A Government of Uttarakhand Enterprise)
HR & Admn. Department
Vidyut Bhawan, Majra, Dehradun, Uttarakhand
Telephone No. 0135-2643459, Fax No. 2645243

(13·1)

पत्रांक 679 /मा०सं०एवंप्रशा०वि०/पिटकुल/ई०-11 संलग्नक-13 दिनांक : 12.05.2014

कार्यालय ज्ञाप

(बिना किसी हेतुक भत्ता के)

श्री स्वतंत्र कुमार तोमर, उपमहाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून, जो कि वर्तमान में महाप्रबन्धक (वित्त)(प्रभारी) के कार्यदायित्वों का निर्वहन प्रभारी महाप्रबन्धक (वित्त) के रूप में कर रहे हैं, के विरुद्ध कार्यदायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने (Dereliction of duty) एवं गम्भीर दुराचरण के प्रथम दृष्टया संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उन्हें जांच कार्यवाही लम्बित रहने तक एतद्द्वारा कारपोरेशन में प्रचलित नियमों के अधीन तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में श्री तोमर को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जबकि श्री तोमर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

श्री मनोज कुमार, उपमहाप्रबन्धक (वित्त) श्री स्वतंत्र कुमार तोमर से उनका उपमहाप्रबन्धक (वित्त) एवं महाप्रबन्धक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार तत्काल ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त कार्यभार के निर्वहन हेतु श्री मनोज कुमार को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुमन्य नहीं होगा।

श्री स्वतंत्र कुमार तोमर को कार्यदायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने (Dereliction of duty) एवं गम्भीर दुराचरण के सम्बन्ध में आरोप पत्र अलग से प्रेषित किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 679 /मा०सं०एवंप्रशा०वि०/पिटकुल/ई०-11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, अध्यक्ष – पिटकुल को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक (परि० एवं अनु०)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, कारपोरेट कार्यालय, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर-II), पिटकुल, देहरादून/रुड़की/हल्द्वानी।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल ________।
6. श्री स्वतंत्र कुमार तोमर, उपमहाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, कारपोरेट कार्यालय, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
7. ✓ श्री मनोज कुमार, उपमहाप्रबन्धक (वित्त), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह श्री स्वतंत्र कुमार तोमर, उपमहाप्रबन्धक (वित्त), से तत्काल उपमहाप्रबन्धक (वित्त) एवं महाप्रबन्धक (वित्त)(प्रभारी) का कार्यभार ग्रहण कर, अपना कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. सम्बन्धित पत्रावली/वैयक्तिक पत्रावली/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच० के० राणा) 13/5/14

निदेशक (मा०सं०)

(13-2)

"राष्ट्र हित में बिजली बचायें"
दूरभाष 0121-2665734
फैक्स: 0121-2666062
E-Mail ID- complaint.cell@pvvnl.org

कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ऊर्जा भवन,विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांकः ५८७५ /पविविनिलि–मे०/शि०प्र०   दिनांक २४|१२|२५

विषयः– श्री शिवकुमार, पुत्र श्री दयानन्द शर्मा, ग्राम व पोस्ट–पूठी, जिला मेरठ द्वारा निदेशक (वित्त) प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में।

पंजीकृत/गोपनीय

मुख्य अभियन्ता,
नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वितरण)
उ0प्र0 पा0का0लि0,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

अवगत कराना है की श्री शिवकुमार, पुत्र श्री दयानन्द शर्मा, ग्राम व पोस्ट–पूठी, जिला मेरठ का पत्र जो अध्यक्ष उ0प्र0का0लि0, लखनऊ के साथ–साथ अन्य को सम्बोधित है तथा निजी सचिव अध्यक्ष उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के डायरी सं0 5655/जीसीएम/2024 दिनांक 09.08.2024 एवं मुख्य अभियन्ता सी0एम0यू0(डी0) उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ के डायरी सं0 8952/दिनांक 12.08.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ (छायाप्रति संलग्न) जिसमे निदेशक (वित्त) प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ के विरूद्ध शिकायत की गयी है।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ के पत्र संख्या–30–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2020 14–ज0श0/98 (टी0सी0) दिनांक–09.01.2020 के बिन्दु संख्या 02 **(अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाय।)** के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 3279/पविविनिलि/मे0/शि0प्र0 दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से सम्बन्धित शिकायतकर्ता श्री शिवकुमार, पुत्र श्री दयानन्द शर्मा से शिकायत शपथ पत्र पर साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता श्री शिवकुमार द्वारा प्रश्नगत शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में शपथ पत्र संख्या IN-UP12752519851336W दिनांक 07.10.2024 को प्रेषित किया, जो कि दिनांक 06.12.2024 में प्राप्त हुआ।
अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में निदेशक के विरूद्ध की गयी शिकायत की जॉच डिस्कॉम स्तर से किया जाना औचित्यपूर्ण नही है, अतः उक्त प्रकरण आपको संलग्नको सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक–यथोपरि।

(एस0एम0 गर्ग)
निदेशक(का0 एवं प्रशा0)

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Modipuram SO 250110
EU656287513IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:32:50, Counter No. 1
To: MUKHYAMANTRI
LOK BHAWAN, LUCKNOW, 226001
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 63.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Modipuram SO 250110
EU656287527IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:33:52, Counter No. 1
To: A K SHARMA
KALI DAS MARG, LUCKNOW, 226001
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 63.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Modipuram SO 250110
EU656287558IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:44:01, Counter No. 1
To: ADYAKSH
GOMTI NAGAR, LUCKNOW, 226010
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 63.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Modipuram SO 250110
EU656287677IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:42:25, Counter No. 1
To: ADYAKSH
GOMTI NAGAR, LUCKNOW, 226010
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 63.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Modipuram SO 250110
EU656287646IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:37:19, Counter No. 1
To: ADYAKSH
ASHOK MARG, LUCKNOW, 226001
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 63.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Modipuram SO (250110) Counter No.1
SP-D EU656287544IN IVR:316609451010252918
10/10/2025 14:42:03, 190(Actual)gms
To: PARBAND NIDESAK, MEERUT
Meerut Cantt., UTTAR PRADE - 250001
From:PUJA GARG-250110
(Base:24.00)

Track@ www.indiapost.gov.in Dial-18002666

Modipuram SO 250110
EU656287535IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:38:42, Counter No. 1
To: AAYUKAT MAHODYA
MEERUT, MEERUT, 250003
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 24.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Modipuram SO 250110
EU656287650IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:40:54, Counter No. 1
To: JILAADHIKARI
MEERUT, MEERUT, 250003
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 24.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Modipuram SO 250110
EU656287663IN, IVR Nol: 18002666868
10/10/2025 14:42:49, Counter No. 1
To: SSP
MEERUT, MEERUT, 250003
From: PUJA GARG
MODIPURAM, MEERUT, 250110
Base Amt: 24.00
Wt:190(Actual)
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

Booking Ref.ID: 316609451010252918
GSTIN:09AAACT0365C1Z9,Article Count: 9
Total Base Tariff: 411
Total CGST: 37 Total SGST: 37

Net Amount: 485, 10/10/2025 14:32:50
Track @ www.indiapost.gov.in

RU264497977IN IVR:8285264497977
RL MODIPURAM SO (250110)
Counter No:1,05/04/2025,12:23
To:PRABANDH NIDESAK,VICTORIA PARK
PIN:250001, Meerut Cantt HO
From:POOJA GARG,144 AZZ COLONY
Wt:15gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868)(Wear mask -Stay safe)

RU264497985IN IVR:8285264497985
RL MODIPURAM SO (250110)
Counter No:1,05/04/2025,12:23
To:MUKHYA ABHIYANTA,VICTORIA PARK
PIN:250001, Meerut Cantt HO
From:POOJA GARG,144 AZZ COLONY
Wt:15gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868)(Wear mask -Stay safe)